# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता ( आर. ए. एस. )
राजस्व प्रकरण संख्या :– 45 / 2019

**उनवान**

1. छीतर
2. कानी
3. झमरी
4. सुगनी पि0 छोगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मंडियानी, नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

**बनाम**

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– जरियें राज0 पैरोकार

---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राज0 अधि0 1956

---

–: आदेश :– दिनांक :– 14.8.20

अधिवक्ता प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डियानी के खसरा नम्बर 826 / 2240 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण कदीम से काबिज काश्त है। मौके पर प्रार्थीगण ने उक्त भूमि को विकसित किया है। उक्त आराजी के पास सिवायचक भूमि है जिस पर अन्य ग्रामीणो द्वारा दखल कारित करने से भूमि की सुरक्षा आवश्यक है। अतः आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी तहसीलदार नसीराबाद की उपस्थिति में कराये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीगण की आराजी के समीप ही सिवायचक भूमि स्थित है जिस पर अन्य ग्रामवासियों द्वारा दखल करने का कथन प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। उक्त आराजी पर सीमा सम्बन्धित विवाद है। राज0 पैरोकार ने भी प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी करने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरित प्रभव नही पडेगा साथ ही पत्थरगढी करने से वाद बहुलता कम होगी। प्रकरण में हितबद्व व्यक्ति अपना पक्ष दौराने पत्थरगढी कार्यवाही भी प्रस्तुत कर सकते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:40:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद ( अजमेर )

अतः ग्राम मण्डियानी के खसरा नम्बर 826/2240 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी पर तहसीलदार नसीराबाद प्रार्थी व पडौसी खातेदारों की विधिवत उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:40:34 IST
Reason: SelfAttested